International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745
Received: 07-02-2026, Accepted: 10-03-2026, Published: 25-03-2026
Volume 8, Issue 1, 2026, Page No. 119-122

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: कारण एवम् प्रभाव

नेहा साह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, इदिंरा गाँधी नेशनल ऑपेन यूनिवर्सिटी, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश
भारतीय राजनीति में महिलाओं की अल्प भागीदारी तथा अल्प प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण समस्या है। भारत जैसें विशाल लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की संख्या लगभग पुरूषों के समान हैं, परन्तु राजनीतिक भागीदारी अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में दोंनो ही संख्याओं में व्यापक अन्तर देखा जाता हैं। भारत एक पितृसतात्मक देश है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पुरूषों का वर्चस्व स्वाभाविक माना जाता है। महिला एवम् पुरूष दोनों हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं अतः दोनों वर्गो की राजनीतिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त हैं, जो महिलाओं के अल्पतम राजनितिक भागीदारी के कारणों में से एक प्रमुख कारण हैं। किसी भी समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह पारिवारिक भूमिका हो या सामाजिक भूमिका हो अथवा राजनीतिक भूमिका हो। परन्तु भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका काफी कम नज़र आती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने स्वयं को एक रेखा तक सीमित कर लिया है। हमारे देश में महिलाओं की संख्या लगभग पुरूषों के समान है, परन्तू भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या पूरूषों की तुलना में आधी भी नहीं हैं। 21वीं शताब्दी में भी संसद तक इनकी मौजूदगी अथवा उपस्थिति सीमित हैं। मेरा यह अध्ययन भारतीय लोकसभा चुनाव तथा संसद में महिलाओं के अल्प प्रतिनिधित्व को दर्शाता है तथा महिला एवम् पुरूष दोनों की चुनावी भागीदारी की तुलना करता हैं। इसके अलावा इस अध्ययन में महिलाओं के अल्प प्रतिनिधित्व के कारणों एवम् इसके प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया हैं।

मूल शब्द: महिलाएं, अल्प प्रतिनिधित्व, भागीदीरी, भारतीय राजनीति, भूमिका, भारतीय समाज, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता

प्रस्तावना

भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के पश्चात् प्राप्त हुई। 1947 से लेकर वतर्मान समय तक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था व्याप्त हैं तथा यह सफल भी रही हैं। अब यह व्यवस्था अन्य देंशो के लिए एक उदाहरण बन चुकी हैं। परन्तु हमें भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियाँ स्पटष्तः नज़र आती हैं। जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व से संबन्धित हैं। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क स्त्री एवम् पुरुष को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हैं अर्थात् प्रत्येक वयस्क को मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी अत्यन्त कम देखी गई हैं। सन् 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, पुरुषों की जनसंख्या लगभग 623.7 मिलियन तथा महिलाओं की जनसंख्या लगभग 586.5 मिलियन थी। देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के पश्चात् द्वितीयक स्थान पर आती हैं इसके बावजूद भी राजनीति में इनका प्रभाव एवम् भागीदारी न्यूनतम ही रहा हैं। महिला मतदाताओं की संख्या कम नहीं है अपितु चुनाव में हिस्सा लेने वाली महिला प्रतिभागीयों की संख्या बहुत कम है। भारतीय राजनीति में महिलाएं सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहीं, जिसके फलस्वरूप संसद में महिला प्रतिनिधियों की मात्रा भी आवश्यकतानुसार नहीं हैं। मिशेल बाचेलेट (पूर्व कार्यकारी निदेशक, यूएन वूमन) ने कहा है, "मेरे लिए एक बेहतर लोकतंत्र वह है जहाँ महिलाओं को न केवल वोट देने का अधिकार और चुनने का अधिकार हो, बल्कि चुने जाने का भी अधिकार हो।" एक लोकतांत्रिक देश में पुरूष तथा महिला दोंनो वर्गो का राजनीति में उचित भागीदारी एवम् प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। जिसके परिणामस्वरूप देश के विकास में दोंनो वर्ग अपना योगदान दें सकें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है परन्तू इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुरूषों का वर्चस्व स्थापित हैं। जिससें जाने या अनजाने में ही महिलाएं पिछरी रह गई हैं। भारतीय महिलाओं की राजनीतिक एवम् चुनावी भागीदारी की वास्तविक स्थिति निम्न आंकड़ो द्वारा समझी जा सकती है।

चुनाव में महिलाओं की भागीदारी

चुनावी वर्ष	महिला प्रतिभागी		निर्वाचित महिलाएं (कुल पदों मे)		कुल पंजीकृत मतदाताओं में महिला मतदाता (%)	कुल मतों में महिला मत (%)	महिला पंजीकृत मतदाताओं में महिला मत (%)
	सं0	%	सं0	%			
1951					45.0		
1957	45	3.0	22	4.5	47.2	38.3	38.8
1962	66	3.3	31	6.3	47.3	39.8	46.6
1967	68	2.9	29	5.6	48.0	43.4	55.5
1971	61	2.2	29	5.6	47.7	42.3	49.1
1977	70	2.9	19	3.5	48.0	43.6	54.9
1980	143	3.1	28	5.3	47.9	43.1	51.2
1984	162	3.0	42	8.2	48.2	44.4	58.6
1989	198	3.2	29	5.5	47.5	43.9	57.3
1991	326	3.8	37	7.1	47.5	43.0	51.3

1996	599	4.3	40	7.4	47.7	44.0	53.4
1998	274	5.8	43	7.9	47.7	44.4	57.7
1999	284	6.1	49	9.0	47.7	44.3	55.6
2004	355	6.5	45	8.3	48.0	44.4	53.6
2009	556	6.9	59	10.9	47.7	45.8	55.8

स्त्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

नोट: 1951 के चुनावों के लिए महिलाओं की भागीदारी पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लोकसभा तथा राज्यसभा में महिला सांसदो की संख्या

वर्ष	कुल लोकसभा सीट	महिला सांसद		कुल राज्यसभा सीट	महिला सांसद	
		(सं0)	(%)		(सं0)	(%)
1952	499	22	4.41	219	16	7.3
1957	500	27	5.40	237	18	7.6
1962	503	34	6.76	238	18	7.6
1967	523	31	5.93	240	20	8.3
1971	521	22	4.22	243	17	7.0
1977	544	19	3.29	244	25	10.2
1980	544	28	5.15	244	24	9.8
1984	544	44	8.9	244	28	11.4
1989	517	27	5.22	244	28	11.4
1991	544	39	7.17	245	38	15.5
1996	543	39	7.18	223	20	9.0
1998	543	43	7.92	223	19	8.6
1999	543	49	9.02	223	19	8.6
2004	543	45	8.03	245	27	11.1
2009	543	59	10.86	245	22	8.97
2014	543	61	11.23	245	29	11.83
2019	543	78	14.36	245	26	10.61
2024	543	75	13.84	243	41	16.87

2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात् महिलाओं की संख्या लोकसभा में केवल 75 (13.84%) एवम् परूषों की संख्या 467 (86.16%) है। सन् 1951 से 2024 तक महिला सांसदो की संख्या केवल 1177 रही है। भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्यूबा, बोलीविया, मैक्सिको जैसै कई लैटिन अमेरिकी देंशों की तुलना में भी कम है। दक्षिण एशिया के कई देशों में भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या भारतीय संसद से अधिक है, उदाहरण के लिए बांग्लादेश के संसद में 20.7%, पाकिस्तानी संसद में 20.2%, नेपाल में 32.7% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हैं। लैटिन अमेरिकी एवम् दक्षिण एशिया की कई देशें भारत की अपेक्षा कम विकसित है किन्तु महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भारत की तुलना में अधिक हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धीरे–धीरे बढ़ रही है परन्तु अभी भी महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं। भारत में 1992 में 73वें एवम् 74वें संवैधानिक संशोधनो को पारित किया गया। इसके द्वारा ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए समस्त सीटों एवम् अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई। भारत में यह पहला अधिनियम बना जिसके द्वारा महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में शामिल करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1996 में भारतीय संसद में पहला महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, इसके पश्चात् 1998 से लेकर 2003 तक यह विधेयक चार बार संसद में पेश किया गया परन्तु यह प्रस्ताव पारित न हो सका। पुनः 2009 एवम् 2010 में प्रयास किये गये परन्तु यह प्रयास भी असफल हो गये। इन सभी प्रयासों के पश्चात् अन्ततः 2023 में भारतीय संसद द्वारा 106वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' पारित किया गया। इस विधेयक के द्वारा भारतीय संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया हैं। यह अधिनियम महिलाओं को केवल 33 आरक्षण प्रदान करता है अर्थात वर्तमान समय में भी इन्हे 50% आरक्षण नहीं दिया गया हैं। इनकी संख्या पुरूषों के समान होने के बावजूद भी हमें यहाँ असमानता नजर आती हैं। हालाँकि अब 20 से भी अधिक राज्यों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान कर दिया है। इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार है, यह प्रावधान 2006 में लागू किया गया। इसके पश्चात् अन्य राज्यों द्वारा भी इसे अपनाया गया। इन सब प्रावधानों के बाद भी महिलाओं की भागीदारी अपर्याप्त है अतः भारत जैसे देश में केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं हैं अपितू महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी अनिवार्य हैं। इसके साथ–साथ महिलाओं के अल्पतम भागीदारी के लिए जिम्मेदार कारणों एवम् चुनौंतियों को भी समझने की आवश्यकता हैं।

चुनावी भागीदारी में महिला एवम् पुरूष की तुलना

भारतीय समाज में लिंग असमानता एवम् लिंग आधारित भेदभाव एक गंभीर मुद्दा है तथा इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता हैं। भारत के लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय चुनावों में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरूषों की तुलना में काफी कम रहती हैं। वास्तविता यह है कि वर्तमान स्थिति में महिला उम्मीदवार एवम् प्रतिनिधित्व, पुरूष उम्मीदवार एवम् प्रतिनिधित्व की तुलना में 50% भी नहीं

है। महिला एवम् पुरूष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परन्तु हमारे समाज में पुरूषों को प्राथमिकता प्रदान की गई हैं तथा महिलाओं को द्वितीयक दर्जा। महिलाओं को अक्सर राजनीति के लिए असक्षम माना जाता हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं का अल्पप्रतिनिधित्व एवम् न्यूनतम भागीदारी लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता हैं। इस सामाजिक भेदभाव के कारण महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र से बेहतर संबन्ध स्थापित करने में असक्षम हो जाती हैं। पुरूषों की तुलना में महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने हेतु अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजनीति में महिलाओं को कभी–कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अक्सर महिलाओं को उनके परिवार द्वारा नाहीं समर्थन प्राप्त होता है और नाहीं कोई प्रोत्साहन मिलता हैं। जो कि एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इनके अलावा अन्य कारक भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की निम्न चुनावी भागीदारी के लिए जिम्मेदार हैं। हाँलाकि समय के साथ–साथ इनकी भागीदारी बढ़ रही हैं परन्तु पुरूषों के समकक्ष पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। भारतीय समाज में पुरूषों के साथ साथ महिलाओं की सम्पूर्ण राजनितिक भागीदारी अत्यन्त आवश्यक हैं। एक देश के सम्पूर्ण विकास के लिए महिलाओं का अस्तित्व तथा उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार जल के निर्माण के लिए ऑक्सीजन एवम् हाइड्रोजन दोंनो की आवश्यकता होती हैं। अतः देश के विकास के लिए महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक हैं।

चुनाव में महिला एवम् पुरूष उम्मीदवार

चुनावी वर्ष	कुल उम्मीदवार	पुरूष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार
1951	1874	1831	43
1957	1519	1474	45
1962	1985	1919	66
1967	2369	2302	67
1971	2784	2723	61
1977	2439	2369	70
1980	4629	4486	143
1984	5492	5321	171
1989	6160	5962	198
1991	8749	8419	330
1996	13952	13353	599
1998	4750	4476	274
1999	4648	4364	284
2004	5435	5080	355
2009	8070	7514	556
2014	8251	7583	668
2019	8054	7328	726

कारण

रूढ़िवादी सामाजिक विचारधारा: इस मानसिकता अथवा विचारधारा ने महिलाओं की प्रगति में काफी बाधा उत्पन्न की हैं। इस विचारधारा के अनुसार महिलाओं का राजनीति से कोई सम्बंध नहीं है, उन्हें इन सब बातों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए एवम् महिलाओं को अपने घरों तक सीमित रहना चाहिए। परन्तु वास्तव में महिलाओं को इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे भी देश की राजनीतिक गतिविधियों को समझ सके एवम् स्वंय इसका हिस्सा बन सके। महिलाओं को इस रूढ़िवादी मानसिकता से ऊपर उठ कर अपने वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने तथा निर्णय निर्धारण का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए।

आर्थिक निर्भरता: ज्यादातर भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पति अथवा पुत्र पर निर्भर होती है, अन्य पर निर्भरता महिलाओं को असक्त बनाती है। इसके कारण महिलाएं अपने जीवन से जुड़ी फैसले लेने में असमर्थ हो जाती हैं। इस निर्भरता के कारण महिलाओं को पारिवारिक एवम् राजनीतिक निर्णय भी पुरूषों के इच्छानुसार स्वीकार करने पड़ते है। पुरूषों पर उनकी निर्भरता इनके विकास को प्रभावित करती है। जिससे राजनीतिक भागीदारी में भी कठिनाईया उत्पन्न होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस आर्थिक निर्भरता को कम करना एक आवश्यक कदम हैं।

अशिक्षा एवम् जागरूगता का अभाव: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 72.98% है, परन्तु महिलाओं की साक्षरता दर 64.63% अभी भी पुरूषों के 80.9% तुलना में कम हैं। भारतीय समाज में वर्तमान समय तक भी महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई हैं। इसके कारण भारतीय महिलाए राजनीति के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी पीछे रह गई हैं। शिक्षा एवम् जागरूगता का अभाव महिलाओं के राजनीतिक अल्पप्रतिनिधित्व एवम् निम्न भागीदारी के प्रमुख कारणों में से एक हैं।

लिंग आधारित भेदभाव: इस समाज में महिलाओं को कभी भी पुरूषों के समान नहीं समझा गया, उन्हें सदैव पुरूषों से निम्न माना गया हैं। महिला एवम् पुरूष में भेदभाव करना एक साधारण बात मान ली गई हैं। पितृसतात्मक देश में कभी भी महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल पाया, जिसकी वो हकदार हैं। एक महिला को हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह उसका अपना घर हो अथवा राजनीति का क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए महिलाओं ने पुरूषों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना किया हैं। अतः इन कठिनाईयों को दूर करना आवश्यक है, जिससे महिलाएं भी राजनीति एवम् अन्य क्षेत्रों में पुरूषों की बराबरी कर सके तथा देश के विकास में योगदान दें सके।

पारिवारिक भूमिका को प्राथमिकता: इस समाज में महिलाओं की पारिवारिक भूमिका को प्राथमिकता दी जाती है नाकि उनकी राजनीतिक भूमिका को। इस पारिवारिक भूमिका का निर्वहन करते हुए महिलाएं पारिवारिक क्षेत्र तक सीमित हो जाती है। वास्तव में महिलाएं स्वंय ही अपनी पारिवारिक भूमिका को प्राथमिकता देती है एवम् अन्य क्षेत्रों में कम रूचि रखती हैं। यह प्रवृति मुख्य रूप से भारतीय गाँवों की महिलाओं में नज़र आती हैं। इनकी यह मानसिकता इन्हे राजनीति से दूर रखने में प्रभावी कारक सिद्ध होती हैं। अतः राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसके लिए आवश्यक है, सबसे पहले महिलाएं इस क्षेत्र में रूचि दिखाएं तथा इस मानसिकता से स्वंय को मुक्त करे।

राजनीतिक दलों द्वारा भेदभाव: भारतीय राजनीति में पुरूषों का वर्चस्व है एवम् अधिकतर राजनीतिक दलों के प्रमख कर्ता–धर्ता पुरूष हैं। ये राजनीतिक दलें अपने नामांकन टिकट मुख्य रूप से पुरूषों को प्रदान करते है एवम् अपना प्रतिनिधित्व भी पुरूषों को ही चुनते हैं। इससे महिलाएं इन अवसरों से वंचित रह जाती हैं। यह महिलाओं का मनोबल कम करता हैं। इस प्रकार के भेदभाव के कारण महिलाओं को वह प्रोत्साहन नहीं मिलता जिससे वह राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके।

सामाजिक समर्थन का अभाव: राजनीतिक क्षेत्र में अक्सर महिलाओं को सामाजिक एवम् पारिवाकि समर्थन नहीं मिलता हैं। यह समाज स्वंय महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी के विरूद्ध नज़र आता हैं। परिवार के द्वारा महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है, ताकि वह केवल अपने घर तक सीमित रहें।

राजनीतिक हिंसा: राजनीतिक क्षेत्र में प्रायः हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। इससे राजनीतिक क्षेत्र महिलाओं के लिए असुरक्षित बन जाता है। इन घटनाओं का सामना करना महिलाओं के लिए सरल नहीं होता एवम् इस क्षेत्र में प्रवेश पाना अधिक कठिन प्रतीत होता है।

प्रभाव

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपर्याप्त हैं। महिलाओं के अल्पप्रतिनिधित्व का प्रभाव भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं।

सबसे पहले हम यह देख रहें है कि महिलाएं केवल वोट बैंक बनी हुई हैं। महिलाओं की संख्या देश में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का काम करती हैं। भारत जैंसे पितृसतात्मक देश में जहाँ केवल 64.63% महिलाएं शिक्षित है, वहाँ ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार अथवा अपने पति के अनुसार अपना राजनीतिक दल निर्धारित करती हैं एवम् उन्हे वोट देती हैं। इसका अर्थ है कि महिलाओं की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, उनका अपना पक्ष नहीं है। यह प्रवृति मुख्य रूप से गावों में अधिक देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महिलाएं केवल अपने घरों तक सीमित है, राजनीति में इनकी रूचि कम हैं।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है एवम् इस देश में निर्णय निर्धारण का अधिकार सबको प्रदान किया गया हैं। परन्तु वर्तमान समय तक महिलाएं इसका हिस्सा नहीं बन पायी हैं। निर्णय निर्धारण में भारतीय महिलाओं का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा हैं। इसका सबसे मुख्य कारण महिलाओं की राजनीति से दूरी हैं। एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय निर्धारण की प्रकिया में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया गया है, परन्तु वास्तव में महिलाओं की उस स्थान तक पहुँच नहीं हैं। इस देश में महिलाओं की संख्या अवश्य ही पुरूषों के समान है, परन्तु वे अभी भी राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है।

राजनीतिक भागीदारी लोगों को सशक्त बनाती है। राजनीतिक भागीदारी के द्वारा महिलाएं भी सशक्त हो सकती है, देश के निति निर्णयन का हिस्सा बन सकती हैं। राजनितिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल कुछ महिलाओं का सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यपाल का पद प्राप्त करना ही नहीं हैं। इस देश की आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है उन्हे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर करना, उन्हे आत्मनिर्भर बनाना, उन्हे न्याय प्रदान करना, अपराधों से रक्षा करना (जिसमें बालात्कार वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती हैं।) इत्यादि अति आवश्यक हैं। वर्तमान भारत में महिलाएं अशक्त हैं। भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम लिए गये है किन्तु हम इन्हें पूर्ण रूप से सफल नहीं मान सकते हैं।

भारतीय महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। देश की आधी जनसंख्या को अपने राजनीतिक अधिकारों का कोई खास ज्ञान नहीं हैं। यह अज्ञानता महिलाओं की राजनीति में अल्पप्रतिनिधित्व का एक मुख्य कारण हैं। ज्यादातर भारतीय महिलाएं केवल मतदान तक सीमित है, वे केवल वोट देने के कार्य में संलग्न होती है एवम् वह मतदान भी अपने मतानुसार नहीं अपितु परिवार के मुखिया के मतानुसार करती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं की भागीदारी अभी निचले स्तर तक अर्थात् अपर्याप्त ही हैं।

इन सब के साथ साथ हम सरपंच पति अथवा पचांयत पति के संस्कृति से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। यह संस्कृति 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रचलन में आया। जिससे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हुई। भारत जैंसे देश में इस प्रावधान के बावजूद भी महिलाएं वास्तविक रूप से सरपंच अथवा मुखिया नहीं बन पाई। चुनाव के द्वारा महिलाओं को मुखिया बनाया जाता है किन्तु वास्तव में उनकी शक्तियों का प्रयोग उनके पतियों द्वारा किया जाता हैं। इस संस्कति में महिला सरपंच का कार्य केवल हस्ताक्षर करने तक ही सीमित रहता है तथा सम्पूर्ण कार्य भार उनके पतियों द्वारा उठाया जाता हैं।

निष्कर्ष

भारत की राजनीति में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी से हम सब भलीभाँती अवगत हैं। संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वर्तमान समय में भी महिलाएं प्रत्यक्ष तथा सक्रिय रूप से राजनीति से नहीं जुड़ पायी हैं। इससें यह स्पष्ट हो गया है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में जो समस्याएँ सामने आती है, उनका समाधान निकालने एवम् उन्हे लागू करने की आवश्यकता हैं। यदि हम आँकडों की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी समय के साथ बढ़ रही है परन्तु अभी भी महिलाएं पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं कर पा रही हैं। यह समाज जहाँ महिलाओं को केवल वोट बैंक माना जाता है, जहाँ लगभग 35.37% महिलाएं अशिक्षित है, जहाँ उन्हे समाज द्वितीयक दर्जा देता है, जहाँ पुरूषों का वर्चस्व प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है, उस समाज में महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश करना सरल कार्य नहीं हैं। एक लोकतांत्रिक देश के सम्पूर्ण विकास के लिए देश के प्रत्येक वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र में अपेक्षित भागीदारी एवम् प्रतिनिधित्व होना आवश्यक हैं। जैसें की अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का कहना है "कोई भी देश वास्तव में तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वह अपनी महिलाओं की क्षमता को दबाता है और स्वंय को अपने आधे नागरिकों के योगदान से वंचित रखता हैं।"

सन्दर्भ सूची

1. दास, बी0। 2021। ए रिव्यू ओन वूमेन' स पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। स्ट्रेड रिसर्च, 8 (6)।
2. कुमार, के0., कुमार, य0., व्दिवेदी, र0। (2024)। द राल ऑफ वूमन इन लोकल गवर्नेंस एंड देयर पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन इन इंडिया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज, 5(12), 906–910।
3. नईम, एन0., भट, जे0. ए0। (2022)। रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वूमन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, 2(1)।
4. पुंडीर, ए0., राजपूत, यू0. एस0। (2023)। स्टेटस ऑफ पालिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वूमन इन इंडिया। इंनटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 5(1)।
5. राई, पी0। (2017)। वूमेन'स पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियाः साइलेन्ट फेमिनिज्म। साउथ एशिया रिसर्च। सेज पब्लिकेशन्स, 37(1), 58–77।
6. रानी, एस0., चतुर्वेदी, वी0। (2023)। ए रिव्यू ऑफ वूमेन' स पॉलिटिकल इंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्चज़ इन एलाइड एजुकेशन, 20(3)।
7. सुमितिरा, ए0। (2024)। पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ वूमन इन पॉस्ट इंडिपेंडेंश इंडिया। कंटेम्पररी स्टडिज़ इन सोशल साइंस, 2(2), 151–168।
8. मदन, आर0। इंपैक्ट ऑफ वूमन' स रिप्रेज़ेंनटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आई0 सी0 एस0 एस0 आर0, नई दिल्ली। https://ssrn.com/abstract=2502394